न्यायालय सिविल जज,(अवर खण्ड),बीसलपुर, पीलीभीत।

मूल वाद संख्या 12/2018

शान्ती देवी .....बनाम..... हरनाम सिंह।।

दिनांकः01.07.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पत्रावली आज वाद बिन्दु विरचित किये जाने हेतु नियत है। पक्षकारों में सुलह का प्रयास किया गया पक्षकारों में सुलह की सम्भवना प्रतीत नही होती है। अतः उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं :–

01– क्या प्रतिवादी ने वादपत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति का इकरारनामा दिनांक 20.10.2016 को वादिनी के पक्ष में किया, जिसके आधार पर वादी प्रतिवादी के विरूद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन करनें का अधिकारी है?

02– क्या वादिनी वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध निरोधात्मक व्यादेश पानें की अधिकारी है?

03– क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

04– क्या अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

05– क्या वादिनी का वाद आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों से बाधित है?

06– क्या वादिनी अन्य किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

उक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त न तो कोई अन्य वाद बिन्दु बनता है और न ही किसी अन्य वाद बिन्दु के सृजन हेतु पक्षकारों की ओर से बल दिया गया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03 व 04

प्रतिवादी का कथन है कि वादिनी की ओर से वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा अदा किय गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है, किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई प्रलेख या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः वाद बिन्दु संख्या 03 व 04 नकारात्मक रूप से तथा वादिनी के पक्ष में निर्णीत किये जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिनी दिनांक 30.08.2019 को पेश हो।

सिविल जज,(जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।